न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 14/2023

उनवान

1 गिरधारी पुत्र मंगला उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी–ढाणी रघुनाथ सागर वार्ड नं0 1 तन शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयुपर राज0

वादीगण

बनाम

1 जगदीश प्रसाद पुत्र साधुराम
2 रामेश्वर पुत्र साधा उर्फ साधुराम
3.रामस्वरूप पुत्र साधा उर्फ साधुराम
समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी–ढाणी रघुनाथ सागर वार्ड नं0 1 तन शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयुपर राज0
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राज0
5 मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 आर टी ए–1955

निर्णय दिनांक: 5/4/23

1. दावा संक्षेप में यह है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 438 रकबा 0.48, 443 रकबा 0.34, 462 रकबा 0.74, 466 रकबा 0.49, कुल किता 4 रकबा 2.05 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। आराजी ख. न. 482 रकबा 0.56 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, तहसील शाहपुरा में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

2. यह कि वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी को वादीगण का पिता मंगला पुत्र गंगाराम साबिक सेटलमेन्ट के पूर्व से ही यानि बरोज लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15.10.1955 के समय से ही बहैसियत काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था तथा मंगला की मृत्यु के बाद वादीगण वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी को बहैसियत काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

3. यह कि वादी का पिता मंगला भोला भाला साधारण काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो राजकार्य से अनभिज्ञ व्यक्ति रहा है प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 का पिता साधा उर्फ साधूराम काफी चालाक एवं होशियार व्यक्ति रहा है तथा राजकार्य में आता जाता रहा है इस कारण उक्त साधा उर्फ साधूराम ने साबिका सेटलमेंट के समय सेटलमेन्ट कर्मचारीयो से साजकर वाद पत्र के जिमन नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी का पर्चा खातेदारी वादीगण के पिता मंगला के कब्जे काश्त के विपरीत गलत एवं गैरकानूनी रूप में अपने नाम से बनवा लिया जबकि साधा उर्फ साधुराम ने अथवा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 का वाद पत्र के जिमन नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही उन्होने उक्त आराजी का लगान राज में जमा करवाया है उक्त आराजी का लगान वादी व उनके पिता मृतक मंगला द्वारा ही जमा करवाया जाता रहा है इस कारण वाद ग्रस्त आराजी की पर्चा खातेदारी काबिले दुरूस्ती है।

4. यह कि वादी के पिता मंगला ने प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के पिता साधा उर्फ साधूराम को वाद पत्र के जिमन नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी की खातेदारी उसके नाम दुरूस्त करवाने के लिए कई बार कहा है तो वह हमेशा दुरूस्ती करवाने का आश्वासन देता रहा है उक्त मंगला व साधा उर्फ साधूराम की मृत्यु के बाद वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 को कई बार वाद ग्रस्त आराजी की खातदेारी वादीगण के नाम दुरूस्त करवाने को कई बार कहां है लेकिन प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 हमेशा वादीगण को आश्वासन देता रहा है कि उनका भूमि पर कब्जा काश्त तो है ही कभी भी तहसील में चलकर वादीगण के नाम वाद ग्रस्त भूमि की खातेदारी दुरूस्त करवा देंगे।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

5. यह कि अब जमीनो की कीमत बढ जाने के कारण प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के मन में दुर्भावना आ गई है ओर वह वाद गस्त आराजी को दीगर व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में अन्तरणडीड पंजीबद्ध करवाने तथा वादी को वाद ग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल करने पर आमादा है । दिनांक 05.02.2023 को वादी ने प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 को वाद ग्रस्त आराजी की खातेदारी दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 ने वाद ग्रस्त आराजी की खातेदारी वादीगण के नाम दुरूस्त करवाने से इंकार कर दिया तथा वादी को वाद ग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल करने की धमकी दी इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ उक्त वाद बाबत घोषणा खातेदारी का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

6. यह कि बिनाय दावा वाद पत्र के जिमन नं0 1 लगायत 5 में वर्णित अनुसार वाद ग्रस्त आराजी का पर्चा खातेदारी वादी व उनके पिता मंगला पुत्र गंगाराम के कब्जे काश्त के विपरीत प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के पेता साधा उर्फ साधूराम द्वारा अपने नाम सेटलमेन्ट कर्मचारियो से साझकर गलत एवं गैरकानूनी रूप से बनवा लेने एवं मंगला द्वारा प्रतिवादी सं0 3 के पिता साधा उर्फ साधूराम को कई बार कहने पर साधा उर्फ साधूराम दुरूस्त करवाने का आश्वासन देते रहने एवं वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 को वाद ग्रस्त आराजी की खातेदारी की दुरूस्ती बाबत कहने तथा उसके द्वारा दुरूस्ती का आश्वासन देते रहने किन्तु अब प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के मन में दुर्भावना आ जाने के कारण वादी को वाद पत्र के जिमन नं0 5 में वर्णित प्रकार से वाद ग्रस्त आराजी की खातेदारी वादीगण के नाम दुरूस्त करवाने से इनकार कर देने तथा वादीगण को वाद ग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल करने की धमकी दिये जाने से पैदा होकर दावा अन्दर मेयाद पेश है।

अन्त में निवेदन किया गया कि वादी का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ डिक्री फरमाया जाकर वादी को हाल आराजी खसरा नम्बर 438 रकबा 0.48, 443 रकबा 0.34, 462 रकबा 0.74, 466 रकबा 0.49, कुल किता 4 रकबा 2.05 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, तहसील शाहपुरा व आराजी ख. न. 482 रकबा 0.56 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, तहसील शाहपुरा का प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 की जगह खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त घोषणा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

वादपत्र पेश होने विधिवत रिपोर्ट ली जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 ने दिनांक 24.03.2023 को जरिये अधिवक्ता श्री मदनलाल जाट उपस्थित होकर जवाब दावा मय राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी ने अपने राजीनामे में वाद पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार करते हुये दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया तथा जाहिर किया की प्रतिवादी भी उक्त वाद पत्र में अकित तथ्यो से सहमत है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस का मनन किया । विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 438 रकबा 0.48, 443 रकबा 0.34, 462 रकबा 0.74, 466 रकबा 0.49, कुल किता 4 रकबा 2.05 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, तहसील शाहपुरा व आराजी ख. न. 482 रकबा 0.56 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, तहसील शाहपुरा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के नाम दर्ज है। वाद पत्र में अंकित तथ्यो तथा राजीनामा से जाहिर है कि उक्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व से ही बहैसीयत काश्तकार काबिज है। मुताबिक राजीनामा के दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा नम्बर 438 रकबा 0.48, 443 रकबा 0.34, 462 रकबा 0.74, 466 रकबा 0.49, कुल किता 4 रकबा 2.05 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, तहसील शाहपुरा व आराजी ख. न. 482 रकबा 0.56 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, तहसील शाहपुरा के हाल दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 का नाम हजफ कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु लेखा जावे । पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक 5/5/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– **श्री मनमोहन मीना, आर ए एस**

वाद पत्र संख्या :– **14 / 2023**

उनवान

गिरधारी पुत्र मंगला उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी–ढाणी रघुनाथ सागर वार्ड नं0 1 तन शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयुपर राज0

वादीगण

बनाम

जगदीश प्रसाद पुत्र साधुराम
2. रामेश्वर पुत्र साधा उर्फ साधुराम
3.रामस्वरूप पुत्र साधा उर्फ साधुराम
समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी–ढाणी रघुनाथ सागर वार्ड नं0 1 तन शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयुपर राज0
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राज0
5 मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 आर टी ए–1955

निर्णय दिनांकः 5/4/23

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा नम्बर 438 रकबा 0.48, 443 रकबा 0.34, 462 रकबा 0.74, 466 रकबा 0.49, कुल किता 4 रकबा 2.05 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, तहसील शाहपुरा व आराजी ख. न. 482 रकबा 0.56 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, तहसील शाहपुरा के हाल दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 का नाम हजफ कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु लिखा जावे ।

निर्णय आज दिनांक 5/4/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	